हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
23 जुलाई 2024, समय 1305

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के तीसरे कार्यकाल का 47 लाख 65 हज़ार,768 करोड़ रूपये का बजट पेश किया,जो 2023-2024 के संशोधित अनुमानों से छ: प्रतिशत अधिक है।लोकसभा में में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा की बजट गरीब,महिलाओं और युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है । श्रीमती सीतारामन ने बजट में कृषि, सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उधमों,निर्माण एवं अवसरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की।उन्होंने 5 साल में 2 लाख करोड़ रूपये के बजट से 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोज़गार और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पांच योजनाओं के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की पैकेज में पहली बार नौकरी लगने वाले कर्मचारियों को उनके कहते में एक माह का वेतन तीन किस्तों में दिया जायेगा ,जिससे लगभग दो करोड़,10 लाख युवा लाभान्वित होंगे।

यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन एक लाख रूपये तक होगा।प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं का कौशल विकास किया जायेगा। बजट में युवाओं के लिए देश के संस्थानों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जायेगा ।इसके अलावा बजट में विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार के प्रथम चार वर्षों के दौरान, अतिरिक्त रोज़गार के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहन दिया जायेगा,जिस से लगभग 30 लाख युवा और उनके नियोक्ता लाभन्वित होंगे यह प्रोत्साहन,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में किये जाने वाले योगदान में दिया जायेगा ।

बजट में अतिरिक्त रोज़गार देने पर 2 वर्ष तक भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि में स तीन हज़ार रूपये प्रति माह खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा वित्त मंत्री ने तरुण वर्ग के तहत दिए जाने ववाले मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रूपये से बढाकर 30 लाख रूपये करने की घोषणा भी की है ।बजट में सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उधमों को तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी एवं उपकरण के लिए अवधि ऋण देने हेतु ऋण गारंटी योजना की घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आयकर में तय कटौती यानि Standard Reduction 50 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 75 रूपये करने की घोषणा की है ,जो नयी कर व्यवस्था के तहत लागू होगी। इसी तरह ,पारिवारिक पेंशन पाने वालो कि तय कटौती 15 हज़ार रूपये से बढाकर 25 हज़ार रूपये का प्रस्ताव रखा गया है। इससे लगभग 4 करोड़ वेतन और पेंशन भोगियों को लाभ होगा।सरकार ने आयकर भरने के लिए नयी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए संसोधित कर दरों की घोषणा भी की है। 3 लाख से 7 लाख रूपये की आय पर 5 प्रतिशत ,7 से 10 लाख रूपये की आय पर 10 प्रतिशत,10 से 12 लाख रूपये ली आय पर 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख रूपये की आय पर 20 प्रतिशत की दर से आय कर देना होगा, जबकि 15 लाख से अधिक आय वालों से 30 प्रतिशत की दर से आयकर लिया जायेगा।इन बदलावों के परिणामस्वरूप नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी कर्मचारी साढ़े 17 हज़ार रूपये तक की बचत कर सकेँगे। बजट में नई पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन से की जाने वाली कटौती 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।सरकार ने सोने और चंडी पर सीमा शुल्क कम करने 6 प्रतिशत करने और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने आयकर से जुड़े अपील पर लंबित विवादों को निपटाने के लिए वर्ष 2024 की विवाद से विश्वास योजना का प्रस्ताव भी किया है।बजट में विदेशी कंपनियों पर नियमित कर की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करना है। सरकार ने भारतीय स्टार्टअप परिस्थिति की तंत्र,उधमिता की भावना और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों पर लगाने वाला ऐंजल कर समाप्तकरने का प्रस्ताव भी किया है।